

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोट कासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) - ५८

अधिकारी :- एम.ए.ए.एस. (पी.सी.) एस


उनवान
बनाम गोकुल शर्मा

बाबत हुमनायतुल्लाह वरमा ५/५ 100 RT Act 1955
दमा नम्बर :- 132/30-06-2015
रण्य दिनांक :- 09-06-2016

वादी की ओर से एम.ए.एस. की व प्रतिवादी की ओर से एम.ए.एस.
नी उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09-06-2016 को एम.ए.एस. (पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी, कोट कासिम के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता
है और डिक्री दी जाती है कि - श्री ६११ (व.नं. 589/0.14, 590/0.54 591/0.64 592/0.10
हुमनायतुल्लाह वरमा - ५८ व.ए. कोट कासिम जिला मजल २१७ की फाईल में प्रतिवादी
द्वारा कानूनी हक कहना पना लोग पर प्रतिवादी का हुमनायतुल्लाह वरमा से
प्रवाद किया जाता है कि वह विवाहित उम्त माजी पर जफ्त कहना नहीं करे,
कोर्ट प्रजादमत व प्रदाएलत नही करेगी पर प्रतिवादी नम्बर २ से कप्त होकर अदालत में
दाखिल दम ०२ की नही विधि में कोर्ट में हुमनायतुल्लाह

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(एम.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोट कासिम

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी		
	रुपया	रुपया	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	